



राजस्थान सरकार  
निदेशालय खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
खनिज भवन, शास्त्री सर्कल, उदयपुर

क्रमांक: DMG/DMGOMS/BRAP/1737

दिनांक: 24.11.2020

आदेश

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली-2017 एवं MMDR Act-1957 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले NERP आवेदन पत्र/खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस/STP/परमिट के आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जावेंगे। इस हेतु आवेदकों की सहायताार्थ आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जा चुके हैं।

अतः समस्त अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने कार्यालयों में आवेदकों से NERP आवेदन पत्र/खनन पट्टा/क्वारी लाइसेंस/STP/परमिट के आवेदन व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं कर केवल ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया के आधार पर ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


  
(डॉ.क.बी.पण्ड्या)IAS  
निदेशक

क्रमांक: DMG/DMGOMS/BRAP/1738 - 1747

दिनांक: 24.11.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक(खान) जोन-जयपुर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा।
3. अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत्त .....(समस्त)
4. खनि अभियन्ता .....(समस्त)
5. सहायक खनि अभियन्ता .....(समस्त)
6. डी.एम.जी.ओ.एम.एस. अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
(एन.क. कोठारी)  
अतिरिक्त निदेशक(खान)मु0